न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 21/2004

1 कुरड़ाराम पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी बिलवा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामदेव सिंह।
2 परमेश्वरलाल पुत्र रामदेव सिंह।
3 कन्हैयालाल पुत्र रामदेव सिंह।
4 महेश कुमार पुत्र रामदेव सिंह समस्त नाबालिगान जरिये कुदरती वली रामदेव सिंह पुत्र मोटाराम जाति अहीर निवासीगण खेसवा की ढ़ाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 28.01.2004 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ उनवानी मुकदमा राजेन्द्र प्रसाद वगैरह बनाम कुरड़ाराम प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नम्बर 22/2000

उपस्थिति :

1. श्री उम्मेदराज सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी (कैम्प झुन्झुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 13.09.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 22/2000 में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2004 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंटस ने अप्रार्थी अपीलांट के विरूद्व धारा 212 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 205,207,208 बाबत अस्थाई हेतु निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवाद ग्रस्त भूमि के नये खसरा नम्बर 234,236,237 है और इन खसरा नम्बर की भूमियों के 2/3 हिस्से का अपीलांट अकेला खातेदार काश्तकार है और 1/3 हिस्से का राजस्व रिकार्ड अपीलांट के नाम से अंकित तो है परन्तु मौके पर इसका कोई कब्जा काश्त नही है क्योंकि अपीलांट ने 1/3 हिस्सा झाबर पुत्र गीगाराम, गोपाल पुत्र रूघाराम से खरीदा था जिनका भी पूर्व में उक्त विवादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही था सिर्फ विक्रय पत्र इनके हक में तस्दीक हुआ है। इसलिये जब अपीलांट का मौके पर कोई कब्जा काश्त ही नही है तो इनके हक में न तो मामला प्रथम दृष्टया ही माना जा सकता और न ही इनके हक में कोई अस्थाई निषेधाज्ञा की रिलिफ ही स्वीकार की जा सकती है। रेस्पोडेंटस विवादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा अपीलांट के सह काश्तकारों से खरीदना बतलाया है और रेस्पोडेंट अजनबी व्यक्ति हे इसलिये भूमि का कानूनन बंटवारा करवाये बिना अपीलांट के कब्जे काश्त में दलख देने व कब्जा करने का कोई अधिकार नही है। विवादित खसरा नम्बर 234 का पहले पुराना 192 खसरा नम्बर था जो पूर्व खसरा नम्बर की भूमि भाई बट के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

आधार पर अपीलांट के कब्जे काश्त में आई और इस प्रकार से खसरा नम्बर 234 का रकबा 4.48 हैक्टेयर पर अकेला अपीलांट काबिज काश्त है और इसमें मयकुआं बनाकर व अपने मकान बनाकर भी आबाद है। इसलिये जिसके बाबत पूर्व में 01.09.1983 को उक्त (का) जिला कलेक्टर नवलगढ़ ने मौका भी देखा था परन्तु अदालत माहतह ने इस और गौरन करने में कानूनी भुल की है। भूमि खसरा नम्बर 236 व 237 का 1/2 हिस्सा अपीलांट के कब्जे काश्त में है और दक्षिणी तरफ के आधे हिस्से पर अपीलांट काबिज काश्त है। इस प्रकार से रेस्पोडेंट अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में अपीलांट के कब्जे काश्त में दखल पैदा करने का प्रयास करेगें जिससे अपीलांट व रेस्पोडेंट के मध्य मुकदमे बाजी बढ़ने की अधिक सम्भावना होगी इसलिये अदालत मातहत का निर्णय खारिज होने योग्य है। विद्वान अधिवक्तान ने अपने कथनों के समर्थन में आर. एल.डब्ल्यू 2006(1) पेज 332, आर.आर.डी. 1996 पेज 148, आर.आर.डी. 1998 पेज 484 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि सहखातेदारी की है। विवादित भूमि पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंट का संयुक्त कब्जा है पक्षकारों के मध्य विधिवत विभाजन नही हुआ है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से रेस्पोडेंट का आवेदन स्वीकार कर रेस्पोडेंट के कब्जे काश्त में दखल नही करने के लिये अपीलांट को पाबन्द करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित भूमियां सहखातेदारी की है। पक्षकारों के मध्य विधिवत विभाजन नही हुआ है। विभाजन से पूर्व भूमि विशेष पर किसी भी पक्षकार का कब्जा मानना एवं उसमें दखलंदाजी नही करने का आदेश पारित करना विधि सम्मत नही माना जा सकता है। पक्षकारों के हक हकुको का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय साक्ष्य के उपरान्त मूल वाद में किया जाना शेष है इससे पूर्व किसी एक सहखातेदार के हक में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण में पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता नही हो इसे दृष्टिगत रखते हुये ताफैसला वाद उभयपक्ष को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर